कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

(सूचना)

जनपद न्यायालय, गोरखपुर के मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय, बांसगाँव स्थित विभिन्न न्यायालयों/अनुभागों/कार्यालयों में उपलब्ध कुल 27 अदद खराब प्रिंटरों का अनुरक्षण (Repairing) किये जाने के संबंध में क्रय समिति, जपनद न्यायालय, गोरखपुर की आख्या दिनांकित 08.10.2024, जो कि माननीय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा दिनांक 16.10.2024 को स्वीकृत है, के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रिंटरों का अनुरक्षण आगणन के माध्यम से किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपना आगणन दिनांक 06.01.2025 के सायं 04:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर में केन्द्रीय नाजिर के समक्ष बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्राप्त सभी आगणन को दिनांक 07.01.2025 को सायं 04:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में खोला जायेगा। निविदा किसी भी कार्य दिवस पर केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर से निर्धारित शुल्क मुव०-100/-रु. जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। सभी निविदादाताओं को धरोहर के रूप में मुव०-15,000/-रु. की धनराशि नगद अथवा चेक के माध्यम से निविदा के साथ केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत न होने की दशा में धरोहर धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस पर संबंधित को वापस कर दी जायेगी।

निविदा प्रक्रिया के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निविदा से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक-24.12.2024

24/12/24

(सुबोध वार्ष्णेय)
अध्यक्ष क्रयसमिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 02,
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. नाजिर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. सूचना पट्ट दीवानी न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
8. सिस्टम अधिकारी दीवानी न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।